

वनियोग वधियक

प्रलिस के लयः

वनियोग वधियक, भारत की संचति नधि, लोकसभा, राज्यसभा, लेखानुदान, अनुच्छेद 116, वतित वधियक, धन वधियक

मेन्स के लयः

वनियोग वधियक, वतित वधियक, भारत की संचति नधि

चर्चा में क्यौं?

हाल ही में केंद्रीय वतित मंत्री ने राज्यसभा में वनियोग (संख्या 5) वधियक, 2022 और वनियोग (संख्या 4) वधियक, 2022 पेश कया ।

- वनियोग वधियक, 2022 को वतित वर्ष 2022-2023 की सेवाओं के लयि भारत की संचति नधि से और कुछ अतरिकित राशयों के भुगतान एवं वनियोग को अधकृत करने के लाया जाएगा ।

वनियोग वधियक:

परचयः

- वनियोग वधियक सरकार को कसी वतित वर्ष के दौरान व्यय की पूरत के लयि भारत की संचति नधि से धनराश नकालने की शकत देता है ।
 - संवधान के अनुच्छेद 114 के अनुसार, सरकार संसद से अनुमोदन प्रापूत करने के बाद ही संचति नधि से धन नकाल सकती है ।
 - नकाली गई राशा का उपयोग वतित वर्ष के दौरान वर्तमान व्यय को पूरा करने के लयि कया जाता है ।

प्रकरया:

- वनियोग वधियक लोकसभा में बजट प्रस्तावों और अनुदानों की मांगों पर चर्चा के बाद पेश कया जाता है ।
 - संसदीय वोटगि में वनियोग वधियक के पारति न होने से सरकार को इस्तीफा देना होगा तथा आम चुनाव कराना होगा ।
- लोकसभा द्वारा पारति होने के बाद इसे राज्यसभा को भेजा जाता है ।
 - राज्यसभा को इस वधियक में संशोधन की सफारशि करने की शकत प्रापूत है ।
 - हालाँकि राज्यसभा की सफारशों को स्वीकार करना या अस्वीकार करना लोकसभा का वशिषाधिकार है ।
- वधियक को राष्ट्रपति से स्वीकृता मिलने के बाद यह वनियोग अधनियम बन जाता है ।
 - वनियोग वधियक की अनूठी वशिषता इसका स्व-भंग खंड (auto repeal clause) है, जससे यह अधनियम अपने वैधानकि उद्देश्य को पूरा करने के बाद स्वयं ही नरिस्त हो जाता है ।
- वनियोग वधियक के अधनियमति होने तक सरकार भारत की संचति नधि से पैसा नहीं नकाल सकती है । हालाँकि इसमें समय लगता है और सरकार को अपनी सामान्य गतविधियों चलाने के लयि धन की आवश्यकता होती है । तत्काल खर्चों को पूरा करने के लिसंवधान ने लोकसभा को वतित वर्ष के एक हसिसे के लयि अग्रमि अनुदान देने हेतु अधकृत कया है । इस प्रावधान को "लेखानुमोदन" के नाम से जाना जाता है ।
 - लेखानुदान को भारतीय संवधान के अनुच्छेद 116 में परभाषति कया गया है ।
 - चुनावी वर्ष के दौरान सरकार या तो 'अंतरमि बजट' या 'वोट ऑन अकाउंट' का वकिलप चुनती है क्यौंकि चुनाव के बाद सत्तारूढ़ सरकार और नीतयों बदल सकती हैं ।

संशोधन:

- वनियोग वधियक में कोई संशोधन प्रस्तावति नहीं कया जा सकता है जसका प्रभाव इस प्रकार दयि गए कसी अनुदान की राशा में परवर्तन या गंतव्य को बदलने या भारत की संचति नधि पर प्रभारति कसी व्यय की राशा को बदलने का होगा और लोकसभा अधयकष के नरिणय पर ही ऐसा संशोधन स्वीकार्य है ।

वनियोग वधियक और वतित वधियक में अंतरः

- **वित्त वधियक** में सरकार के व्यय के वित्तपोषण के प्रावधान शामिल हैं, जबकि एक वनियोग वधियक धन निकालने की मात्रा और उद्देश्य को नरिदषिट करता है।
- वनियोग और वित्त वधियक दोनों को **धन वधियक** के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जिसके लिये राज्यसभा की स्पष्ट सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। राज्यसभा केवल उन पर चर्चा करती है और वधियकों को लौटाती है।

भारत की संचति नधिः

- इसकी स्थापना **भारत के संवधान के अनुच्छेद 266 (1)** के तहत की गई थी।
- इसमें समाहति हैं:
 - करों के माध्यम से केंद्र को प्राप्त सभी राजस्व (आयकर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और अन्य प्राप्तियाँ) तथा सभी गैर-कर राजस्व।
 - सार्वजनिक अधिसूचना, ट्रेज़री बलि (आंतरिक ऋण) और वदेशी सरकारों तथा अंतरराष्ट्रीय संस्थानों (बाहरी ऋण) के माध्यम से केंद्र द्वारा लिये गए सभी ऋण।
- सभी सरकारी व्यय इसी नधि से पूरे किये जाते हैं (असाधारण मदों को छोड़कर जो लोक लेखा नधि या सार्वजनिक नधि से संबंधित हैं) और संसद के प्राधिकरण के बिना नधि से कोई राशि नहीं निकाली जा सकती।
- **भारत का नयित्तरक और महालेखापरीक्षक** (CAG) इस नधि का लेखा परीक्षण करता है।

संसद में बजट की वभिनि अवस्थाएँ:

- बजट की प्रस्तुति
- आम चर्चा।
- वभागीय समितियों द्वारा जाँच।
- अनुदान की मांगों पर मतदान।
- वनियोग वधियक पारति करना।
- वित्त वधियक पारति करना।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQs)

प्रश्न. नमिनलखिति मे से कौन सी वधियाँ भारत के लोक वित्त पर संसदीय नयित्तरण रखने के काम आती हैं?

1. संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय वविरण का प्रस्तुत किया जाना
2. वनियोग वधियक के पारति होने के बाद ही भारत की संचति नधि से मुद्रा निकाल पाना
3. अनुपूरक अनुदानों तथा लेखानुदान का प्रावधान
4. संसदीय बजट कार्यालय द्वारा समष्टिगत आर्थिक पूवानुमानों तथा व्यय हेतु सरकार के कार्यक्रम का एक नयितकालिक अथवा कम-से-कम मध्यवर्षीय पुनरावलोकन
5. संसद में वित्त वधियक को प्रस्तुत किया जाना

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1, 2, 3 और 5
- (b) केवल 1, 2 और 4
- (c) केवल 3, 4 और 5
- (d) 1, 2, 3, 4 और 5

उत्तर: (a)

- संसद सार्वजनिक धन की संरक्षक है, यह वभिनि माध्यमों से सार्वजनिक वित्त पर नयित्तरण रखती है। वभिनि संवधानिक प्रावधान हैं जो संसद को सार्वजनिक वित्त को नयित्तरित करके कार्यपालिका पर नयित्तरण रखने में सक्षम बनाते हैं;
- **अनुच्छेद 266:** सरकार के सभी राजस्व और प्राप्तियों को 'समेकित नधि' में जाना चाहिये और धन केवल संसद द्वारा पारति कानूनों के अनुसार ही नधि से निकाला जा सकता है। **अतः 2 सही है।**
- **अनुच्छेद 112:** राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष में संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय वविरण प्रस्तुत करेगा। व्यय के प्रभारति और मतदान अनुमान अलग-अलग दिखाए जाएंगे। राजस्व खाते पर व्यय को अन्य व्यय से अलग दिखाया जाना चाहिये। **अतः 1 सही है।**
- वित्त वधियक संवधान के अनुच्छेद 110 की आवश्यकता को पूरा करने के लिये वार्षिक वित्तीय वविरण प्रस्तुत करते समय पेश किया जाता है जिसमें बजट में प्रस्तावित करों के अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या वनियमन का वविरण होता है। **अतः 5 सही है।**
- **अनुच्छेद 113:** प्रभारति व्यय को संसद में मतदान के लिये प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिये। प्राक्कलनों का व्यय अनुदान मांगों के रूप में संसद द्वारा उसके मूल्यांकन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। अनुदान मांगों के लिये राष्ट्रपति की पूर्व सफारिश आवश्यक है।
- **अनुच्छेद 114:** वनियोग वधियक के पारति होने के बाद ही संचति नधि से धन की निकासी।

- **अनुच्छेद 115:** पूरक, अतिरिक्त या अधि अनुदान का प्रावधान ।
- **अनुच्छेद 116:** वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑन क्रेडिट और असाधारण अनुदान का प्रावधान । **अतः 3 सही है ।**
- हालाँकि संसद के बजट कार्यालय द्वारा कार्यक्रमों की मध्य-वर्ष समीक्षा का कोई प्रावधान नहीं है । **अतः 4 सही नहीं है । इसलिये विकल्प (a) सही उत्तर है ।**

प्रश्न. "लेखानुमोदन" और "अंतरमि बजट" में क्या अंतर है? (2011)

1. स्थायी सरकार लेखानुमोदन के प्रावधान उपयोग करती है, जबकि कार्यवाहक सरकार "अंतरमि बजट" के प्रावधान का प्रयोग करती है ।
2. लेखानुमोदन सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबद्ध होता है, जबकि अंतरमि बजट में व्यय तथा अवती दोनों सम्मिलित होते हैं ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/appropriation-bill-2>

